ernkrk lwph esa uke tqM+ok,a

viuk igpku i= cuok,a

D;k gS ernkrk lwph \

- किसी भी चुनाव क्षेत्र में रहने वाले 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के नाम मतदाता सूची में होते हैं।
- सूची में मतदाता के पिता या पति का नाम, उम्र, लिंग, घर के पते का उल्लेख होता है।
- मतदाता सूची में फोटो भी होता है।
- मतदान केंद्र के आधार पर सूची तैयार की जाती है। समय–समय पर उसमें सुधार होता रहता है।
- मतदाता सूची या वोटर लिस्ट में नाम लिखवाने की कोई फीस नहीं लगती।
- याद रखें – चुनाव में मतदान वही कर सकता है, जिसका नाम मतदाता सूची में हो।

ernkrk lph e uke dl tM \

- यदि आपकी उम्र एक जनवरी को 18 साल की हो गई है तो वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी।
- मतदाता सूची के पुनरीक्षण के कार्य मे लगे कर्मचारी समय–समय पर आपके घर पहुंच कर नए लोगों के नाम जोड़ते हैं।
- इसके लिए फार्म न०–6 में पूरा विवरण भर कर मतदान केंद्र, पंजीयन अधिकारी या बी० एल० ओ० के पास जमा करवाना होता है। यह कार्य साल भर चलता है।
- आयु के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल की मार्कशीट, सरपंच का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। निवास के प्रमाण के लिए बैंक की पास बुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली के बिल सहित कई अन्य दस्तावेज़ों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
- ध्यान रहे कहीं किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में आपका नाम पहले से दर्ज नहीं होना चाहिए।

ernkrk lwph ls uke gVkuk

वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा सकता है, यदि–

- वोटर का निधन हो गया हो।
- मतदाता उस स्थान पर पिछले छह महीने से न रह रहा हो, या अन्य किसी स्थान पर रहने चला गया हो।
- नाम हटवाने के लिए फॉर्म न०–7 भरना होता है।
- यहफार्म भरकर परिवार वाले भी दे सकते हैं, और पड़ोसी भी।

okVj fyLV e l|/kkj&l’kk/ku

- कई बार वोटर लिस्ट में नाम, उम्र, लिंग या ऐसी ही कुछ जानकारी गलत दर्ज हो जाती हैं। पिता/पति के नाम में गलती रह जाती है।
- इन गलतियों का पुनरीक्षण के समय सुधार करवाया जा सकता है।
- यह कार्य पुनरीक्षण की अवधि में किया जाना ज़रूरी है, ताकि नई वोटर लिस्ट में ठीक विवरण छप सके।
- इस कार्य के लिए फॉर्म न०–8 में पूरी जानकारी भर कर जमा करना पड़ता है।

fuokl LFkku cnyu ij okVj fyLV e ifjoru

- कई बार वोटर को अपना घर, गाँव छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है

ऐसे में–

- यदि पते के साथ विधान सभा क्षेत्र भी बदल गया हो तो सबसे पहले पुरानी वोटर लिस्ट से अपना नाम अवश्य हटवा लें। इसके लिए फार्म नं० 7 भरना होता है।
- इसके बाद नए मतदाता केंद्र में नए सिरे से नाम जुड़वाना होता है। इसके लिए फॉर्म न०–6 भरना होगा।
- यदि घर का पता उसी विधान सभा क्षेत्र में बदल रहा हो तो इसके लिए फॉर्म न०–8–Aको भरना होगा।
- पता बदलने पर फार्म के साथ नए पते का प्रमाण पत्र भी लगाना होगा।

ernkrk igpku i=

- प्रत्येक मतदाता को निर्वाचन आयोग एक पहचान पत्र जारी करता है, जिसमें मतदाता का नाम, पिता/पति का नाम, उम्र, लिंग तो दर्ज होता ही है, मतदाता का पता, उसका विधान सभा क्षेत्र और मतदान केंद्र का खंड क्रमांक भी दर्ज होता है।
- समय–समय पर चुनाव आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्र बनाने का अभियान चलाया जाता है।
- इस अभियान में फोटो भी बिना पैसों के खींचे जाते हैं।
- अभियान में जिनके पहचान पत्र नहीं बन पाते हैं, उनके लिए हर ब्लॉक में विशेष केन्द्र बनाए जाते हैं। वहां जाकर पहचान पत्र बनवा सकते हैं।
- इन केन्द्रों पर पहचान पत्र बनवाने के लिए एक फार्म भरना पड़ेगा और उसके साथ दो फोटो जमा करने पड़ेंगे। फोटो का खर्च खुद ही उठाना पड़ता है।
- मतदाता पहचान पत्र सभी सरकारी कार्यों में आपकी पहचान का प्रामाणिक दस्तावेज होता है।